12 सितंबर, 2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 84 वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा

मद संख्या 84.9 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (3 प्रस्ताव)

84.9 (i) तीसरे साल के बाद 24 जुलाई, 2019 से 23 जुलाई, 2019 तक अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बंसल इंक जो मुरादाबाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- **एलओपी जारी किया गया :** 24 जुलाई, 2015
- **यूनिट के व्यवसाय का स्वरूप :** हस्तशिल्प
- **विस्तार की संख्या :** विकास आयुक्त मुरादाबाद एसईजेड द्वारा दो वर्ष के लिए (24 जुलाई, 2016 से 23 जुलाई, 2018)
- **एलओए कब तक वैध है :** 23.07.2018
- **अनुरोध :** चौथे साल वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए 28 जून, 2019 तक

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. सं.	**लागत का प्रकार**	**प्रस्तावित निवेश (लाख रुपए में)**
1.	भूमि स्थल विकास	31.82 लाख रुपए
2.	भवन	25 लाख रुपए
3.	प्लांट एवं मशीनरी	10 लाख रुपए
4.	कार्य के लिए मार्जिन धनराशि	5 लाख रुपए
	कुल	**71.82**

(ख) अब तक किया गया वृद्धिमूलक निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश : शून्य

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण : शून्य

* यूनिट ने उल्लेख किया है कि वह इस वर्ष के भीतर ही निर्यात उत्पादन शुरू करने के प्रयास करेगी।

विलंब के विस्तृत कारण :

यूनिट ने उल्लेख किया है कि उनके पारिवारिक व्यवसाय में वित्तीय संकट के कारण, वे 23.07.2018 तक अपनी यूनिट स्थापित करने में सक्षम नहीं थे। और अब वे आर्थिक रूप से स्थिर हैं और अपनी

एसईजेड यूनिट की स्थापना के लिए बैंक ऋण ले रहे हैं। यूनिट ने यह भी उल्लेख किया है कि यदि एलओए के उनके विस्तार को 23.07.2019 तक अनुमोदित कर दिया जाता है, तो वे अपना निर्माण कार्य पूरा कर लेंगे और अपने अधिकृत संचालन शुरू कर देंगे।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19 (4) के दूसरे परंतुक के तहत, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन चौथे वर्ष तक एलओए में विस्तार कर सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

तीसरे परंतुक के अनुसार, अनुमोदन बोर्ड, उद्यमी द्वारा लिखित अनुरोध पर, और यह समाधान होने के बाद कि अतिरिक्त अवधि के लिए और विस्तार, जो कि एक बार में एक वर्ष से अधिक अवधि का नहीं होगा, प्रदान किया जाना आवश्यक और समीचीन है, अवधि में विस्तार कर सकेगा।

वर्तमान मामले में, यूनिट साइट पर गतिविधि शुरू नहीं कर सकती है और दो तिहाई गतिविधियों के पूरा होने के लिए सीई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। दो तिहाई गतिविधियों को पूरा करने के लिए सीई प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में, वर्तमान प्रस्ताव एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19 (4) के तहत विकास आयुक्त, मुरादाबाद एसईजेड को प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

विकास आयुक्त ने 24 जुलाई, 2018 के बाद एक साल की अवधि के लिए अर्थात 23 जुलाई 2018 तक एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

84.9 (ii) चौथे साल के बाद 01 मार्च, 2020 तक अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स डोर्फ केटल केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर जेड/-108/, दाहेज एसईजेड लिमिटेड, भाग 2, दाहेज एसईजेड, तालुक वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात की यूनिट है, का अनुरोध

- **एलओए जारी किया गया :** 02 सितंबर, 2014
- **यूनिट के व्यवसाय का स्वरूप** : विशिष्ट रसायन का विनिर्माण और माध्यमिक
- **विस्तार की संख्या** : विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड द्वारा 3 तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा 1
- **एलओए कब तक वैध है :** 01 सितंबर, 2018
- **अनुरोध** : 1 मार्च 2020 तक डेढ़ साल के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए

वर्तमान प्रगति

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. सं.	**लागत का प्रकार**	**प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)**
1	भवन	20
2	प्लांट एवं मशीनरी	38
3	अन्य	42
	कुल	100

(ख) अब तक किया गया वृद्धिमूलक निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश :

क्र. सं.	**लागत का प्रकार**	**किया गया कुल निवेश (करोड़ रूपये में)**	**पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (रुपए में)**
1	भूमि सुधार	13.55	2.00
2	भवन	5.00	5.00
3	प्लांट एवं मशीनरी	1.17	1.17
4	अन्य	1.57	1.57
	कुल	21.29	9.74

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	**गतिविधि**	**प्रतिशत पूरा होना**	**पूरी होने का प्रतिशत पिछले एक वर्ष के दौरान**	**शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा**
1	भूमि एवं सुधार	25	25	दिसंबर-2019
2	भवन			
3	प्लांट एवं मशीनरी	3.07	3.07	दिसंबर, 2019

विलंब के विस्तृत कारण :

- ईआईए अधिसूचना 2006 के तहत पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र 01 मई, 2017 को प्राप्त हुआ था। अतः, इसकी प्राप्ति के बाद ही निर्माण गतिविधि शुरू की जा सकी।
- उक्त परियोजना के चरण- I के लिए संशोधित विकास योजना को विकासक द्वारा 26 जून, 2018 को मंजूरी दी गई थी।
- साइट पर प्रतिकूल परिस्थितियों, जिसके लिए काफी मात्रा में मृदा भराई की आवश्यकता पड़ती है, के कारण निर्माण गतिविधियों में काफी विलंब हुआ। इसके अलावा, भूखंड में अवमृदा जल स्तर अधिक है, जिसके कारण सिविल निर्माण गतिविधियां कठिन हैं और इनमें अधिक समय लगता है।

मैसर्स डोर्फ केटल कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड एक विशिष्ट रसायन विनिर्माण कंपनी है, जिसका वित्त वर्ष 2017-18 में कुल कारोबार 832.11 करोड़ रुपये का है। मुंद्रा एसईजेड में उनकी विनिर्माण यूनिट भी है जिसकी स्थापना और वाणिज्यिक उत्पादन का आरम्भ वर्ष 2011-12 किया गया था। इस इकाई से निर्यात का कुल मूल्य 402.29 करोड़ रुपये है।

नियम क्या कहता है

तीसरे परंतुक के अनुसार, अनुमोदन बोर्ड, उद्यमी द्वारा लिखित अनुरोध पर, और यह समाधान होने के बाद कि अतिरिक्त अवधि के लिए और विस्तार, जो कि एक बार में एक वर्ष से अधिक अवधि का नहीं होगा, प्रदान किया जाना आवश्यक और समीचीन है, अवधि में विस्तार कर सकेगा।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19(4) के संदर्भ में, एलओए दिनांक 02 सितंबर, 2014, जिसे संशोधित और 01 सितंबर, 2018 तक विस्तार किया गया, की वैधता अवधि में डेढ़ वर्ष की अवधि अर्थात 01 मार्च, 2020 तक विस्तार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड को मामले की सिफारिश की गई है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

84.9 (iii) 24 जुलाई, 2018 के बाद 24 जुलाई, 2019 तक एक साल की अवधि के लिए मंजूरी पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अरबिंदो फर्मा लिमिटेड जो एपीआईआईसी एमपी एसईजेड, नायडुपेटा, नेल्लोर एसईजेड की यूनिट, का अनुरोध

- **एलओपी जारी करने की तिथि** : 25 जुलाई, 2014

- **यूनिट के व्यवसाय का स्वरूप :** औषध विभाग उत्पाद

- **विस्तार की संख्या** : 3 (तीन)

- **एलओए कब तक वैध है** : 24 जुलाई, 2018

- **अनुरोध :** 24 जुलाई, 2019 तक एक साल के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. सं.	**लागत का प्रकार**	**प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)**
1.	भवन	2.26
2.	प्लांट एवं मशीनरी	39.70
3.	परियोजना की लागत	68.07
	कुल	**110.03**

(ख) अब तक किया गया वृद्धिमूलक निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश :

क्र. सं.	**लागत का प्रकार**	**अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)**	**पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (करोड़ रुपए में)**
1	भूमि की लागत	10.28	0.20
2	सामग्री का प्रापण	376.57	198.33
3	निर्माण	151.28	34.91
	कुल	**538.12**	**233.44**

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	**अधिकृत गतिविधि**	**समग्र समापन का प्रतिशत**	**पूरी होने का प्रतिशत**	**पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत**	**शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा**
1	भूमि की लागत	83 प्रतिशत	100 प्रतिशत	2 प्रतिशत	31 मार्च, 2019
2	प्रापण (पूंजीगत)		80 प्रतिशत	34 प्रतिशत	
3	निर्माण		92 प्रतिशत	19 प्रतिशत	

विलंब के विस्तृत कारण :

यूनिट ने बताया है कि नायडुपेट में अरबिंदो फार्मा लिमिटेड यूनिट-X की परियोजना अंतिम चरण की एक कगार है। वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य केवल यूनिट द्वारा जीएमपी और विनियामक मानदंडों के सख्त पालन के कारण विलंबित हुआ है।

नियम क्या कहता है

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19(4) के दूसरे परंतुक के तहत, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन चौथे वर्ष तक एलओए में विस्तार कर सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

तीसरे परंतुक के अनुसार, अनुमोदन बोर्ड, उद्यमी द्वारा लिखित अनुरोध पर, और यह समाधान होने के बाद कि अतिरिक्त अवधि के लिए और विस्तार, जो कि एक बार में एक वर्ष से अधिक अवधि का नहीं होगा, प्रदान किया जाना आवश्यक और समीचीन है, अवधि में विस्तार कर सकेगा।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने 24 जुलाई, 2019 तक एक साल की अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

मद संख्या 84.10 : सह विकासक के लिए अनुरोध (3 प्रस्ताव)

84.10 (i) अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने तथा अन्य प्रचालनों के लिए सर्वे नंबर 35 पी एवं 36, गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स एक्सपीरियन हास्पिटलिटी हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

2.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स एक्सीरोन हास्पिटैलिटी हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने तथा अन्य प्रचालनों के लिए सह विकासक बनने के लिए 83,610 वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्र का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 14 अगस्त, 2018 उपलब्ध कराया गया है। एसईजेड में सह विकासक द्वारा निवेश के लिए प्रस्तावित राशि 5.50 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.10 (ii) त्रिपक्षीय सह विकासक करार दिनांक 14 अगस्त 2018 के तहत संविदा के अनुसार अधिकृत प्रचालन के रूप में भवनों तथा अन्य अवसंरचना सुविधाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क केरल (टेकनोपार्क) एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

19.45.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

84.10 (ii) दिनांक 14 अगस्त 2018 के त्रिपक्षीय सह विकासक करार के तहत संविदा के अनुसार 10 एकड़ के क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन के रूप में भवनों तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क केरल (टेकनोपार्क) एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने आवेदन प्रस्तुत किया है।

विकासक एवं सह विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 14 अगस्त, 2018 उपलब्ध कराया गया है। एसईजेड में सह विकासक द्वारा निवेश के लिए प्रस्तावित राशि 7.5 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, कोचीन एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.10 (iii) अर्शिया एफटीडब्ल्यूजेड, एसईजेड में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर (आईटीईएस सहित) के लिए अतिरिक्त क्षेत्र तथा एफटीडब्ल्यूजेड के दोनों क्षेत्रों में यूटिलिटीज (विद्युत एवं जल आपूर्ति) के वितरण के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स लक्ष्मीपति बालाजी सप्लाई चेन मैनेजमेंट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स लक्ष्मीपति बालाजी सप्लाई चेन मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि अर्शिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है, एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियमावली, 2006 के अंतर्गत पनवेल, मुम्बई में

निःशुल्क व्यापार और भांडागार क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सक्षम सेवाओं सहित) (आईटी-एसईजेड) का विकासक है। अर्शिया लिमिटेड के एफटीडब्ल्यूजेड और आईटी-एसईजेड 47 हेक्टेयर (लगभग) के क्षेत्र पर एफटीडब्ल्यूजेड का विकास किया है और अगस्त, 2017 से क्रियाशील है तथा आईटी-एसईजेड को 10 हेक्टेयर (लगभग) के क्षेत्र में विकसित किया जाना है। अर्शिया का एसईजेड 57.045 हेक्टेयर के कुल अधिसूचित क्षेत्र में फैला हुआ है।

मैसर्स लक्ष्मीपति बालाजी सप्लाई चेन मैनेजमेंट लिमिटेड ने दोनों सेक्टरों अर्थात् एफटीडब्ल्यूजेड और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर (आईटीईएस सहित) में यूटिलिटीज के वितरण के लिए मैसर्स अर्शिया लिमिटेड (विकासक) के साथ 31.08.2018 को सह विकास करार किया है।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एसईईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 84.11 : एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव (एक प्रस्ताव)

84.11 (i) ग्राम वघोली एवं खराडी, पुणे, महाराष्ट्र में 6.69 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एआईजीपी डवलपर्स (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स एआईजीपी डवलपर्स (पूणे) प्राइवेट लिमिटेड	वाघोली और खराड़ी गाँव, पुणे, महाराष्ट्र	आईटी / आईटीईएस	6.69	हां	हां (01 जून, 2018)	नया

(i) प्रस्तावित निवेश : 893 करोड़ रुपए
(ii) परियोजना का प्रक्षेपित रोजगार : 22000
(iii) विदेशी निवेश : हां

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 84.12 : शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन / नाम में परिवर्तन / विलय / डिमर्जर (2 प्रस्ताव)

84.12 (i) एनसीएलटी, चंडीगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 11 जुलाई 2018 के माध्यम से संयुक्त व्यवस्था योजना के अनुमोदन के अनुसरण में शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के साथ मैसर्स जीपी रियाल्टर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन के अंतरण तथा मैसर्स जीपी रियाल्टर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर आईटीपीजी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम बहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं आईटी / आईटीईएस एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस एसईजेड की स्थापना के लिए मैसर्स जीपी रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड को 14 नवंबर, 2006 को एलओए जारी किया गया था। उपर्युक्त एसईजेड को प्रारम्भ में 18.86858 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 04 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। अनेक बार भूमि में वृद्धि करने और कमी करने के बाद, एसईजेड का वर्तमान अधिसूचित क्षेत्र 25.59723 हेक्टेयर है। विकासक ने बंधपत्र-सह-कानूनी शपथपत्र दिया था जिसे सक्षम प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिया है। उक्त एसईजेड में अनुमोदन समिति द्वारा मैसर्स जी.पी. रियलटर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड नामक एक विद्युत संयंत्र यूनिट को मंजूरी दी गई है। यह एसईजेड अभी तक क्रियाशील नहीं हुआ है। एसईजेड का औपचारिक अनुमोदन 13 नवंबर, 2018 तक वैध है।

मैसर्स जीपी रियल्टर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड ने 14 नवंबर, 2006 को माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), चंडीगढ़ बेंच के दिनांक 11 जुलाई, 2018 के आदेश के माध्यम से संयुक्त व्यवस्था योजना के अनुमोदन के अनुसरण में मैसर्स जीपी रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड से मैसर्स जीपी रियलटर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन के अंतरण के लिए और मैसर्स जीपी रियल्टर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर 'आईटीपीजी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड' के लिए अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन का अनुरोध किया है।

विकासक द्वारा विकास आयुक्त कार्यालय के माध्यम से निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए गए हैं:

(i) इस कंपनी के वर्तमान निदेशक इस प्रकार हैं :

(क) श्री बालाजी विजयाराघवन वानीयंबादी
(ख) श्री भावेश प्रफुल्लचंद्र मडेका

(ii) मैसर्स जीपी रियलटर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड के शेयरहोल्डिंग पैटर्न का सीए द्वारा प्रमाणित विवरण निम्नानुसार हैं:

03 अगस्त, 2018 की स्थिति के अनुसार, मैसर्स जी.पी. रियलटर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड का मौजूदा शेयरहोल्डिंग पैटर्न		माननीय एनसीएलटी के समक्ष दायर संयुक्त व्यवस्था योजना के अनुसार प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग पैटर्न	
शेयर धारक का नाम	**शेयरों का प्रतिशत**	**शेयर धारक का नाम**	**शेयरों का प्रतिशत**
जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	99.99998 प्रतिशत	डायसु लिमिटेड (पूर्व में एजको लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (इसके नॉमिनी मैसर्स आईआरईओ मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा धारित शेयरों सहित)	100 प्रतिशत
शरद अग्रवाल (जी पी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के नॉमिनी)	0.00001 प्रतिशत	-	-
कुल	**100 प्रतिशत**	**कुल**	**100 प्रतिशत**

(iii) मैसर्स जी.पी. रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयरहोल्डिंग पैटर्न का 31 जुलाई, 2018 को सीए द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित विवरण:

शेयर धारक का नाम	हिस्सा प्रतिशत में
डायसु लिमिटेड, मॉरीशस (पूर्व में एजको लिमिटेड के नाम से ज्ञात)	99.99 प्रतिशत
आइरियो मैनेजमेंट I लिमिटेड (जी पी रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नॉमिनी)	0.01 प्रतिशत
कुल	100 प्रतिशत

(iv) निगमन प्रमाण पत्र की प्रति, एम एंड ए ओ ए और मेसर्स जीपी रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान निदेशकों की सूची: कंपनी के वर्तमान निदेशक निम्नानुसार हैं:

(i) श्री संजीव दासगुप्ता
(ii) मोहम्मद असीम
(iii) श्री अभिजीत कमलाकर कुकडे
(iv) श्री विनम्र श्रीवास्तव

(v) व्यवस्था की प्रस्तावित संयुक्त योजना और श्री शरद अग्रवाल और श्री मुनीश माथुर के पक्ष में प्राधिकार के संबंध में मैसर्स जी पी रियल्टर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड के संकल्प दिनांक 22 दिसंबर, 2015 की प्रति।

(vi) व्यवस्था की प्रस्तावित संयुक्त योजना और श्री शरद अग्रवाल और श्री मुनीश माथुर के पक्ष में प्राधिकार के संबंध में मैसर्स जी पी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड के दिनांक 12.12.2015 के संकल्प की प्रति।

(vii) मेसर्स जीपी रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड से डिमर्जेड एसईजेड के मंजूरी पत्र के अंतरण के लिए प्रस्तावित लेन-देने की परिपूर्ति के बाद शर्तों का अनुपालन करने के लिए मैसर्स जीपी रियलटर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड से 101/- रूपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक शपथपत्र

(viii) मौजूदा नाम जीपी रियलटर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड से परिवर्तित नाम “आईटीपीजी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड” की उपलब्धता में अनापत्ति के संबंध में सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र के 13 अगस्त, 2018 के पत्र की प्रति।

व्यवस्था योजना के अनुसार समामेलन योजना का उद्देश्य निम्नानुसार है:

(i) जीपीआरपीएल के साथ, सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में प्लाटून का समामेलन; और
(ii) जीपीआरपीएल के डिमर्ज्ड उपक्रम की जीपीआरपीएल 1 में सुनामी प्रतिष्ठान के रूप में डिमर्जिंग और अधिकार निधान।

एनसीएलटी के 11 जुलाई, 2018 के निर्णय के पैरा 2 के अनुसार, याचिकाकर्ता कंपनी नंबर 2 (मैसर्स प्लाटून प्रॉपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड) को याचिकाकर्ता कंपनी नंबर 1 (मैसर्स जीपी रियल्टर्स लिमिटेड) में समामेलित किया जाएगा और याचिकाकर्ताओं (चूंकि कंपनी नंबर 1, जीपी रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड, को योजना के खंड 2.1.6 में परिभाषित किया गया है) के डिमर्ज्ड उपक्रम को याचिकाकर्ता कंपनी नंबर 3 (मेसर्स जीपी रियलटर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड) में डिमर्ज किया जाएगा। निर्णय के पैरा 40 के अनुसार योजना को मंजूरी दी गई है। "योजना" के अनुसार नियत तारीख 01 अक्टूबर, 2015 या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा यथानिर्देशित कोई अन्य तिथि हो सकती है।

इसके अलावा, योजना के खंड 2.1.6 के अनुसार, "डिमर्ज्ड उपक्रम" का अर्थ है - सुनाम प्रतिष्ठान के आधार पर एसईजेड-1 के संबंध में और उससे संबंधित जीपीआरपीएल का उपक्रम, व्यवसाय, संपत्ति, देनदारियाँ, गतिविधियाँ और प्रचालन, चाहे वे किसी भी प्रकृति के हों और कहीं भी स्थित हो, जिसमें योजना के उक्त खंड 2.1.6 के उपखंड (i) से (viii) में उल्लिखित विवरण सहित संबंधित अथवा आवश्यक सभी परिसंपत्तियां, देनदारियां, अनुबंध और कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा, 07 अगस्त, 2018 के कवरिंग पत्र में, यह उल्लेख किया गया है कि "डिमर्ज्ड एसईजेड" का अर्थ इस योजना में परिभाषित एसईजेड -1 को शामिल करते हुए 25.59723 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र होगा।

इसके अतिरिक्त, माननीय एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित योजना के खंड 2.1.19 के अनुसार, "एसईजेड 1" का अर्थ 25.12123 हेक्टेयर (62.08 एकड़) की भूमि है, जिसे जीपीआरपीएल के पक्ष

में अनुज्ञापित किया गया है। विकास आयुक्त कार्यालय ने प्रेक्षण किया है कि उक्त एसईजेड अर्थात् ग्राम बेहरामपुर, जिला- गुड़गांव (हरियाणा) में स्थित मैसर्स जी पी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड को 04/05/2009 को अधिसूचित किया गया है और वर्तमान में इसका आकार 25.59723 हेक्टेयर है। इस संबंध में, आवेदक ने स्पष्ट किया है कि संयुक्त व्यवस्था योजना के लिए आवेदन करने की तिथि को और योजना की नियत तिथि 1 अक्टूबर 2015 को, एसईजेड 1 में 25.12123 हेक्टेयर (62.08 एकड़) का क्षेत्रफल शामिल है जिसे अधिसूचना संख्या का.आ. 2605(ई) दिनांक 13 अक्टूबर 2014 के तहत जीपीआरपीएल के पक्ष में अनुज्ञापित किया गया गया है। माननीय एनसीएलटी के समक्ष योजना दायर करने के बाद अधिसूचना संख्या का.आ. 2293 (ई) दिनांक 06 जून, 2018 के तहत 0.476 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को अधिसूचित किया गया था। आवेदक ने यह बताया है कि कंपनी को माननीय उच्च न्यायालय / एनसीएलटी के समक्ष योजना के अनुमोदन के लिए आवेदन दाखिल करने की तिथि के बाद संपत्ति में वृद्धि अथवा कमी की सूचना देने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, उसका उल्लेख आदेश में नहीं किया गया है। इसके अलावा आवेदक ने यह भी बताया है कि माननीय एनसीएलटी आदेश के अनुसार, आदेश की तिथि को सम्पूर्ण उपक्रम नियत तिथि को कंपनी में डिमर्ज्ड हो जाएगा और तदनुसार, माननीय एनसीएलटी के 11 जुलाई, 2018 के आदेश के अनुसार भूमि क्षेत्र में अनुवर्ती वृद्धि को हस्तांतरित माना जाएगा।

जहां तक मैसर्स जी.पी. रियल्टर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर "आईटीपीजी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड" करने के लिए आरओसी द्वारा जारी किए गए निगमन के नए प्रमाणपत्र की प्रति का संबंध है, आवेदक ने बताया है कि निर्देश संख्या 90 दिनांक 03 अगस्त, 2018 में निर्दिष्ट है कि नाम के आरक्षण को लागू करने के लिए आरओसी से संपर्क करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यक नहीं है। हालाँकि, निर्देश संख्या 89 दिनांक 17 मई, 2018 में कहा गया है कि नाम के उपयोग के लिए अनुमोदन बोर्ड की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

विकास आयुक्त की सिफारिश

निर्देश संख्या 89 दिनांक 17 मई, 2018 और निर्देश संख्या 90 दिनांक 03 अगस्त, 2018 के तहत वाणिज्य विभाग द्वारा जारी अनुवर्ती स्पष्टीकरण के संदर्भ में विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड के विचार हेतु अनुशंसित किया गया है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.12 (ii) एनसीएलटी द्वारा जारी किए गए समामेलन आदेश के अनुसरण में नियंत्रक कंपनी मैसर्स आईबीएस साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को एलओए दिनांक 21 जुलाई 2008 का हस्तांतरण करने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स आईबीएस साफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो इनफोपार्क एसईजेड-1 में सह विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स आईबीएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सह-विकासक इंफोपार्क एसईजेड (I) में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अवसंरचनात्मक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए दिनांक 21.07.2008 के एक वैध एलओए का धारक है। अब मैसर्स आईबीएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने सूचित किया है कि मैसर्स आईबीएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का 27 मार्च, 2018 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेश के आधार पर अपनी नियंत्रक कंपनी मैसर्स आईबीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय हो गया है जिससे आईबीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड भारत में उत्तरजीवी कंपनी है। उन्होंने 10 अप्रैल, 2018 में आरओसी में पुष्टि दर्ज की है। समामेलन के परिणामस्वरूप, उन्होंने आईबीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि उत्तरजीवी संगठन है, के नाम से मंजूरी पत्र को हस्तांतरित करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया है।

कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

हस्तांतरणकर्ता (आईबीएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) से पहले शेयरहोल्डिंग पैटर्न

शेयर धारक का नाम	**शेयर होल्डिंग का प्रतिशत**
10 रुपए प्रत्येक के सिरीज ए इक्विटी शेयर	
आईबीएस साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	100 प्रतिशत

शेयर धारक का नाम	**शेयर होल्डिंग का प्रतिशत**
10 रुपए प्रत्येक के सिरीज बी इक्विटी शेयर	
आईबीएस साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	96.621 प्रतिशत
वी के मैथ्यूज	0.002 प्रतिशत
लता मैथ्यूज	0.000 प्रतिशत
पिट्रो कफाई	2.157 प्रतिशत
फिलिप डडवर्ड हिंटन	0.750 प्रतिशत
विलियम जेम्स मिलने	0.469 प्रतिशत
कुल	100 प्रतिशत

* सीरीज ए के इक्विटी शेयर जिनमें कोई मताधिकार नहीं है।

हस्तांतरिती (आईबीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड) से पहले शेयरहोल्डिंग पैटर्न हस्तांतरणकर्ता (आईबीएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) से पहले शेयरहोल्डिंग पैटर्न

शेयर धारक का नाम	**शेयर होल्डिंग का प्रतिशत**
10 रूपए प्रत्येक के **1,00,00,00,000** इक्विटी **शेयर)**	
आईबीएस साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	99.990 प्रतिशत
शिवकुमार पूजंकरा	0.010 प्रतिशत
कुल (क**)**	**100** प्रतिशत
10 रुपए प्रत्येक के कंपल्सरी कंवर्टिबल प्रीफ्रेंस शेयर	

वी के मैथ्यूज	75 प्रतिशत
लता मैथ्यूज	25 प्रतिशत
कुल (ख)	**100** प्रतिशत

विलय के बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न (आईबीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड)

शेयर धारक का नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
आईबीएस साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	99.990 प्रतिशत
शिवकुमार पूजंकरा	0.010 प्रतिशत
कुल (क)	**100** प्रतिशत
10 रुपए प्रत्येक के कंपल्सरी कंवर्टिबल प्रीफ्रेंस शेयर	
वी के मैथ्यूज	75 प्रतिशत
लता मैथ्यूज	25 प्रतिशत
कुल (ख)	**100** प्रतिशत
10 रुपए प्रत्येक के कंपल्सरी कंवर्टिबल प्रीफ्रेंस शेयर	
पिट्रो कफाई	64.017 प्रतिशत
फिलिप डडवर्ड हिंटन	22.176 प्रतिशत
विलियम जेम्स मिलने	13.808 प्रतिशत
कुल (ग)	100 प्रतिशत

विलय आदेश के अनुसार, हस्तांतरिती कंपनी अर्थात मैसर्स आईबीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धारित हस्तांतरणकर्ता कंपनी अर्थात, मैसर्स आईबीएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सभी सीरीज़ ए और सीरीज़ बी इक्विटी शेयर को रद्द कर दिया गया था और हस्तांतरिती कंपनी को हस्तांतरणकर्ता कंपनी द्वारा धारित ऐसे शेयरों के बदले में कोई शेयर जारी नहीं किया गया था। उन्हें समामेलन योजना के खंड 14.1 के अनुसरण में रद्द कर दिया गया था।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 84.13 : विविध मामले (एक प्रस्ताव)

84.13 (i) मैसर्स सार्थक वेयर हाउसिंग एवं ट्रेडिंग कंपनी (एसडब्ल्यूटीसी), गांधीधाम के एलओए को बहाल करना

नियम 18 (5) के तहत व्यापार और भंडारण के लिए 25 जून, 2010 को मैसर्स सार्थक वेयरहाउसिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी (एसडब्ल्यूटीसी) को एलओए इस विशिष्ट शर्त के साथ प्रदान किया गया था कि उन्हें पहले से उपयोग की गई किसी भी सामग्री जैसे इस्तेमाल किए गए कपड़े या प्लास्टिक की रद्दी का आयात करने की अनुमति नहीं होगी। यूएसी ने 04 सितुबर, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में नोट किया कि एसईजेड अधिनियम और नियमों में वेयरहाउसिंग यूनिटों में पहले से उपयोग की गई कोई वस्तु रखने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था क्योंकि इस तरह के भंडारण में विनिर्माण गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जो नियम 18(4)(ग) के तहत निषिद्ध है और उक्त माल का निर्यात भी 100 प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। इसलिए, यूएसी ने निर्णय लिया कि इस तरह की छूट (पहले से उपयोग की गई वस्तुओं के भंडारण की अनुमति की छूट) इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसी यूनिटों द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी डीटीए की बिक्री की अनुमति नहीं होगी और उनके द्वारा आयातित पहले से उपयोग की गई वस्तु के 100 प्रतिशत को देश के बाहर निर्यात किया जाएगा।

यूएसी के उपरोक्त उल्लिखित निर्णय के आधार पर, मैसर्स एसडब्ल्यूटीसी ने उपयोग किए गए कपड़े और प्लास्टिक की रद्दी जैसी पहले से उपयोग की गई वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध के संबंध में अपने एलओए में संशोधन के लिए आवेदन किया। 21 अक्टूबर, 2014 को आयोजित यूएसी की 73वीं बैठक में, एसईजेड अधिनियम की धारा 2 (ड) के तहत निर्यात की परिभाषा पर चर्चा के बाद और अनुमोदन बोर्ड द्वारा मैसर्स वर्षा एक्सपोर्ट को दिए गए अनुमोदनों सहित विभिन्न अनुमोदनों को ध्यान में रखते हुए, यूएसी ने "देश के बाहर 100 प्रतिशत निर्यात" शब्द को "100 प्रतिशत निर्यात" से बदलने का निर्णय लिया, जिससे आईयूटी को निर्यात स्थिति प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया। हालांकि, डीटीए की कोई बिक्री नहीं संबंधी शर्त बरकरार रखी।

100 प्रतिशत निर्यात और डीटीए की कोई बिक्री नहीं संबंधी शर्त के साथ पहले से उपयोग किए गए माल के आयात / भंडारण की अनुमति देने के लिए मैसर्स एसटीडब्ल्यूसी को जारी किए गए एलओए को 25 जून, 2010 को संशोधित किया गया। मैसर्स एसडब्ल्यूटीसी ने नियम 18 (6) के तहत अपने विदेशी ग्राहक की ओर से पहले उपयोग किए जा चुके गैर-निर्यात योग्य शेष और पहले से पहने जा चुके कपड़ों के लिए विनिर्माण प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया। यूएसी ने 26 फरवरी, 2015 को आयोजित अपनी 72वीं बैठक में अनुरोध को निरस्त कर दिया, जबकि वाणिज्य विभाग के निर्देश 49 दिनांक 12 मार्च, 2010, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि संबंधित यूएसी योग्यता के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर, कटिंग, पॉलिशिंग, ब्लेंडिंग आदि की अनुमति देते हुए एफटीडब्ल्यूजेड यूनिट के अधिकृत संचालन के भाग के रूप में एफटीडब्ल्यूजेड यूनिट के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है, पर निर्भर करते हुए वेयरहाउसिंग कार्यकलाप के भाग के रूप में कपड़ों को छोटे टुकड़ों में काटने की अनुमति दी।

17 मार्च, 2015 को आयोजित यूएसी की 78वीं बैठक में, यूएसी की विगत बैठक में लिए गए उपरोक्त उल्लिखित निर्णय को अंगीकार न करने और उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित करने का निर्णय लिया गया। अनुमोदन बोर्ड ने 19 मई, 2015 को आयोजित 65वीं बैठक में इस आधार पर प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि नियम 18 (4) (ग) के तहत उक्त गतिविधि अनुमेय

नहीं थी। डीओसी ने स्पष्ट किया कि मैसर्स वर्षा एक्सपोर्ट के मामले में यथाउल्लिखित पहले से उपयोग किये गए, पहने हुए और इस्तेमाल किए गए कपड़ों का 100 प्रतिशत निर्यात को केवल देश से बाहर भौतिक निर्यात के किया जाना समझा जाएगा। उपरोक्त उल्लिखित स्पष्टीकरण के आधार पर, मैसर्स एसडब्ल्यूटीसी को जारी किए गए एलओए को यह प्रदर्शित करने के लिए संशोधित किया गया कि पहले से उपयोग किए गए माल का आयात और भंडारण देश से बाहर 100 प्रतिशत भौतिक निर्यात की शर्त के अधीन होगा और किसी भी अंतर-जोन आपूर्ति तथा डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं होगी। विकास आयुक्त से प्राप्त इनपुट के आधार पर, डीओसी ने निर्देश दिया कि पहले से उपयोग किए गए मालों के आयात के लिए मैसर्स एसडब्ल्यूटीसी को दिए गए अनुमोदन को एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 18 (4) (घ) के संदर्भ में तुरंत वापस ले लेना चाहिए।

04 अप्रैल, 2018 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 82वीं बैठक में बहाली के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया, हालांकि, बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श के बाद इसे स्थगित कर दिया गया और विकास आयुक्त, केएएसईजेड को फिर से जांच करने के लिए निर्देश दिया गया कि क्या यूनिट द्वारा प्रस्तावित गतिविधि को पुनरावर्तित किया जा सकता है ।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अब सूचित किया है कि डीटीए बिक्री की निगरानी प्रणाली में खामियों को दूर करने के लिए, डीटीए में पुनसंस्कृत पहने हुए और उपयोग किए गए कपड़ों जैसी संवेदनशील वस्तुओं की जांच एक पृथक सीमांकित जांच के जरिए की जाती है, जो क्लोज्ड सर्किट कैमरे के पर्यवेक्षण में होती हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि गठरियों की जांच मूल्यांकक/जांच अधिकारी द्वारा किसी निर्णय की गुंजाइश के बिना पूरी तरह से यादृच्छिक आधार पर होती है। उनके कार्यालय द्वारा किसी भी उल्लंघन का कोई मामला नहीं देखा गया है, हालांकि, अनुचित रूप से कटे-फटे कपड़ों के कुछ मामलों का पता लगाया गया और अपराध के लिए उन्हें सख्त तरीके से दंडित किया गया।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

यह सिफारिश की जाती है कि मैसर्स एसडब्ल्यूटीसी द्वारा आयात और आयातित मात्रा के उनके 100 प्रतिशत पुन: निर्यात के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए और किसी भी अंतर-जोन बिक्री को रोकने के लिए, वे 100 प्रतिशत भौतिक पुन: निर्यात के अनुपालन की निगरानी के लिए आयात और निर्यात के संबंध में अपने मासिक स्टॉक विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे एसईजेड प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। इसके अलावा, उन्हें 12 महीने की रिकॉर्डिंग के साथ सभी संचालनों को रिकॉर्ड करने के लिए गेट पर कैमरे संस्थापित करने चाहिए, ताकि ये रिकॉर्डिंग विकास आयुक्त के कार्यालय को उपलब्ध कराई जा सके। यदि ये सुरक्षा उपाय किए जाते हैं, तो एमओसी मैसर्स एसडब्ल्यूटीसी को पहने हुए कपड़ों के आयात / निर्यात के लिए अनुमति देने पर विचार कर सकता है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 84.14 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील (एक अपील)

84. 14 (i) : 79241 वर्गफीट के अनुमोदित अतिरिक्त क्षेत्रफल में से 9500 वर्गफीट के क्षेत्रफल में कैफेटीरिया के लिए आवेदन दिनांक 26 जून 2018 को अस्वीकार करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 6 अगस्त 2018 के विरुद्ध मैसर्स असेंचर सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की अपील दिनांक 22 अगस्त 2018

आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का सारांश

मैसर्स असेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो एसईईपीजेड एसईजेड के अधिकार क्षेत्र के तहत एक यूनिट है, को "सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी इनेबल सर्विसेज" के अधिकृत प्रचालन के लिए 16 दिसंबर, 2014 को एलओपी दिया गया था। यूनिट ने वर्ष 2015 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।

अपीलकर्ता ने मंजरी स्टड फार्म प्राइवेट लिमिटेड -एसईजेड के भवन ए में 79,241 वर्गफुट के माप के क्षेत्र में अवस्थिति में वृद्धि और निर्यात, विदेशी मुद्रा अंतर्वाह और बहिर्वाह के संशोधित प्रक्षेपण के लिए दिनांक 26.06.2018 को एक आवेदन प्रस्तुत किया।

एसईईपीजेड मुंबई में आयोजित मंजरी स्टड फार्म प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड के संबंध में 26 जुलाई, 2018 को आयोजित यूएसी बैठक में अपीलकर्ता के प्रस्ताव पर विचार किया गया।

यूएसी ने 9500 वर्ग फुट (अतिरिक्त अनुमोदित क्षेत्र में) के कैफेटेरिया क्षेत्र को छोड़कर संशोधित प्रक्षेपण और 79,241 वर्ग फुट के अतिरिक्त स्थान को मंजूरी दी। कैफेटेरिया के प्रस्ताव को यूनिट के अधिकृत संचालन से संबंधित नहीं होने के कारण यूएसी द्वारा खारिज कर दिया गया था।

अपील की विषय वस्तुएं

यूएसी से निम्नलिखित कारणों के कारण प्रस्ताव के अधिकृत संचालन से संबंधित नहीं होने के समाधान में चूक हुई है:

(क) एक आईटी / आईटीईएस कंपनी होने के नाते अपीलकर्ता 24X7 संचालन करता है तथा कैफेटेरिया कुछ और सेवाओं जैसे परिवहन आदि के अलावा 24X7 संचालन के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षित संरचना में से एक है।

(ख) इन सुविधाओं में लगभग 5000 कार्यबल तैनात किए जाएंगे, जिसमें प्रचुर संख्या में महिला कार्यबल भी शामिल हैं तथा 24X7 संचालन को ध्यान में रखते हुए, यूनिटों के अनन्य उपयोग के लिए इन-हाउस कैफेटेरिया सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।

कारखाना अधिनियम की धारा 46 के तहत, राज्य सरकार यह अपेक्षित कर सकती है कि किसी भी निर्दिष्ट कारखाने में, जिसमें 250 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के उपयोग के लिए एक या अधिक कैंटीन की व्यवस्था और रखरखाव किया जाएगा। धारा 47 के तहत श्रमिकों के उपयोग के लिए आश्रय, दोपहर के भोजन के लिए कक्ष और शौचालय बनाए रखे जाएंगे। यदि एसईजेड यूनिटों को उनके लिए इन-हाउस कैफेटेरिया / कैंटीन के संचालन की अनुमति नहीं दी जाती है, तो वे सांविधिक अपेक्षाओं का पालन करने में भी सक्षम नहीं होंगे।

यदि अनुमति नहीं दी जाती है, तो यह अपीलकर्ता की परियोजना योजना के कार्यान्वयन और निष्पादन को बाधिक करेगा और इसे पूरी परियोजना पर पुनः काम करने की आवश्यकता होगी, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात राजस्व / ग्राहकों के प्रति डिलीवरी प्रतिबद्धताओं और रोजगार सृजन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने से साथ-साथ विलंब और लागत में वृद्धि होगी। इससे महिला कर्मचारियों सहित कर्मचारियों के कार्यकरण को सुकर बनाने पर भी प्रभाव पड़ेगा। सरकार की व्यापार को सुकर बनाने की नीति पर नाकाम होगी। यदि अनुमति दे दी जाती है तो भारत सरकार को निर्यात में वृद्धि के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में काफी आय होगी।

नियम क्या कहता है

एसईजेड नियमावली, 2006 का नियम 11 : प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र

(5) प्रसंस्करण क्षेत्र या मुक्त व्यापार और भांडागारण क्षेत्र में भूमि या निर्मित स्थान केवल नियम 19 के तहत जारी किए गए वैध मंजूरी पत्र रखने वाले उद्यमियों को पट्टे पर दिया जाएगा और पट्टे की अवधि पांच साल से कम नहीं होगी, परंतु पट्टा दस्तावेज में किसी अन्य शर्त के होते हुए भी, मंजूरी पत्र की अवधि की समाप्ति अथवा निरस्तीकरण के मामले में अधिकार समाप्त हो जाएंगे।

बशर्ते कि विकासक, अनुमोदन समिति की पूर्व स्वीकृति से, कैंटीन, सार्वजनिक टेलीफोन बूथ, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, क्रेच और यूनिट के विशिष्ट उपयोग के लिए यथाअपेक्षित इस तरह की अन्य सुविधाओं जैसी सुविधाओं के सृजन के लिए पट्टे पर भूमि या निर्मित स्थान पर अनुदान दे सकता है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है (अनुबंध 1)।

*****